

19/6/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के अमान पूर्व से Registered प्राप्त हुए जिस शामिल पत्रावली किया किया जाता है। पत्रावली वास्तव में जवाब हेतु भाईया दिनांक 28/6/2024 को पेश हो



28/6/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपस्थित। विपक्षीगण को जवाब का अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया अतः उनका जवाब बंद किया जाता है। वकील पार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील पार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मतत किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि पक्षीगण का पक्षना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः नेवमंत्रही निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली कैसल अमान होकर दाखिल हफ्तर हो। शब्दा से एक कम हो।



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 252/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

किशाना वगैरा बनाम कोजा वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील - श्री ज्येष्ठ कुमार

**निर्णय**

दिनांक - 29/6/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र औगाला भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा औगाला के खेत खसरा संख्या 653 रकबा 13.8969 हैक्टर व खसरा संख्या 652 रकबा 0.0647 हैक्टर किस्म बा.सोयम रिथत है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेड़ो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड़डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र औगाला भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा औगाला के खेत खसरा संख्या 653 रकबा 13.8969 हैक्टर व खसरा संख्या 652 रकबा 0.0647 हैक्टर किस्म बा.सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पैमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/6/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(विरेन्द्रसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी

सेड़वा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<b>प्रार्थी</b> 1. किशना पुत्र खेराज 2. चूना पुत्र दुर्गा 3. डालू पुत्र जगमाल 4. नवला पुत्र खेराज 5. फगलू पुत्र जगमाल 6. मूली पत्नि जगमाल 7. रूखमणा पुत्र खेराज 8. रेखा पुत्र दुर्गा 9. श्रवणकुमार पुत्र दुर्गा जाति जाट, निवासी ओगाला, तहसील सेड़वा।	<b>बनाम</b>	<b>विप्रार्थीगण</b> 1. कोजा पुत्र रतना 2. रेखाराम पुत्र नवलाराम 3. भूराराम पुत्र नवलाराम 4. तेजा पुत्र रामा 5. धर्मा पुत्र हुकमा 6. निम्बाराम पुत्र देवाराम 7. मंगलाराम पुत्र लालाराम 8. वीराराम पुत्र अचलाराम जाति जाट, निवासी ओगाला, तहसील सेड़वा 9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।
---	-------------	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।


राजस्व आवेदन संख्या 252/2023

दिनांक : 28/06/2024

### आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र औगाला भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा औगाला के खेत खसरा संख्या 653 रकबा 13.8969 हैक्टर व खसरा संख्या 652 रकबा 0.0647 हैक्टर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करें। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इसदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

  
(विरेंद्रसिंह भाटी)

o/c उपखण्ड अधिकारी


सेड़वा

दिनांक 15/07/2024

क्रमांक/भू.अ./2024/229A-97

प्रतिकृति :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीनी किशना पुत्र खेराज वगैरा।
3. विप्रार्थीगण कोजा पुत्र रतना वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सेड़वा